न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या :– 07 / 2024
जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 32

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. ओमप्रकाश चोयल पुत्र ढगलाराम सीरवी, फर्म मैसर्स जय लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, पोलियावास स्कूल के सामने, बिंजवाड़िया बाईपास, अजमेर रोड़, बिलाड़ा, जोधपुर। निवासी – जूना मगरिया बेरा, बिलाड़ा, जोधपुर।
2. नानकराम असनानी पुत्र देवनदास सिंधीं, मैसर्स सुनिल ट्रेडिंग कम्पनी, रामदेव हाउस भैरव कोलोनी, गणेशपुरा रोड़, ब्यावर, अजमेर, राजस्थान।

–:आदेश :– **दिनांक :– 09.05.2024**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.05.2023 को रेवतसिंह बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स जय लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, पोलियावास स्कूल के सामने, बिंजवाड़िया बाईपास, अजमेर रोड़, बिलाड़ा, जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय दुकान पर मालिक एवं विक्रेता की हैसियत से ओमप्रकाश चोयल उपस्थित मिले तथा आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ खाद्य तेल, घी एवं अन्य पदार्थ बेचने हेतु अपने कब्जे में रखा हुआ पाया गया। उक्त खाद्य पदार्थ मालिक से वर्ष 2023 का खाद्य अनुज्ञा–पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसआई रजि0 20220415103483765 की रसीद एवं स्वयं का आधार कार्ड पेश किया। प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर परिसर में Groundnut oil (Brand Shubham) के 2 लीटर प्रति जार प्लास्टिक के 40 जार आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट / अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिए रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र एवं 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 1080 / – नगद देकर 8 लीटर (4 जार x 2 लीटर प्रति जार) Groundnut oil (Brand Shubham) खरीदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:34:28 IST
Reason: SelfAttested

तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त Groundnut oil (Brand Shubham) का नियमानुसार नमूनीकरण किया गया तथा इनके ऊपर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–3531 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–3531 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–3531 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 08.05.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:34:28 IST
Reason: SelfAttested

एम–3531 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 05.05.2023 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 05.05.2023 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 772–774 दिनांक 29.05.2023 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 1303/एक्ट/2023/1343 दिनांक 24.05.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Groundnut oil (Brand Shubham) का नमूना Butro&refractometer reading at 40°c के निर्धारित मानक 54.0 से 57.1 के स्थान पर 59.09 होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण दिनांक 03.04.2024 को स्वयं उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 09.05.2024 को रखी गई।

प्रार्थी ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से Groundnut oil (Brand Shubham) का सैम्पल लिया गया जो अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) होना पाया गया जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में अप्रार्थीगण पर अधिकतम से अधिकतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थीगण ने बहस में बतलाया कि प्रार्थी द्वारा Groundnut oil (Brand Shubham) का जो सैम्पल लिया गया उसकी प्रथम जांच रिपोर्ट में नमूना अमानक स्तर (Sub Standard) का आया है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अन्त में न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स जय लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, पोलियावास स्कूल के सामने, बिंजवाड़िया बाईपास, अजमेर रोड़, बिलाड़ा, जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु Groundnut oil (Brand Shubham) का सैम्पल लिया [illegible] उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट एल. एस. 1303/एक्ट/2023/1343 दिनांक 24.05.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:34:28 IST
Reason: SelfAttested

Groundnut oil (Brand Shubham) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया। अप्रार्थीगण ने एफ0 एस0 एस0 एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थीगण ओमप्रकाश चोयल पुत्र ढगलाराम व नानकराम आसनानी पुत्र देवनदास सिंधी पर शास्ती रूपये 10,000/- अक्षरे रूपये दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर-अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपीः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :-

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. ओमप्रकाश चोयल पुत्र ढगलाराम सीरवी, फर्म मैसर्स जय लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, पोलियावास स्कूल के सामने, बिंजवाड़िया बाईपास, अजमेर रोड़, बिलाड़ा, जोधपुर। निवासी - जूना मगरिया बेरा, बिलाड़ा, जोधपुर।
4. नानकराम असनानी पुत्र देवनदास सिंधीं, मैसर्स सुनिल ट्रेडिंग कम्पनी, रामदेव हाउस भैरव कोलोनी, गणेशपुरा रोड़, ब्यावर, अजमेर, राजस्थान।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:34:28 IST
Reason: SelfAttested